कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला – उत्तरकाशी।

आज दि॰12/1/18 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा – मैलूडा मार्ग से घण्डियालधार तक विस्तार हेतु 2.115 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति। की बैठक की गई।

क0 सं0	अधिकारी / जिलापंचायत सदस्य का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	डॉ0 आशीष चौहान	जिलाधिकारी , उत्तरकाशी ।	[signature] जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2.	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी।	[signature] प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी
3.	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी ।	[signature] जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4.	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य, उपला डख्याट गॉव	[signature]
5.	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य, नाल्ड टकनोर।	[signature]
6.	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैण	[signature]

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE

DISTRICT, UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Chauhan I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 12-01-2018 at Uttarkashi in which application claiming rights in civil land area measuring 2.115 hect. for the construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level committee of Bhatwari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place- Uttarkashi

Dated- 12-1-2018

((Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate

Uttarkashi.

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi

Name of Project- Motor Road Construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar.

No-159/2018 Dated-12-1-2018

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.115 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division P.W.D. Bhatwari in Uttarkashi (Name of user agency) for construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road (Purpose of diversion of forest land) in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Aleth & Dhanpur Village(s) in Bhatwari tehsil(s).

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.115 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिलाधिकारी
(Dr. Ashish Chauhan)
उत्तरकाशी
District Magistrate
Uttarkashi.

It is certified that- Minute of Meeting of Construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road, Uttarkashi under PWD Bhatwari Uttarkashi in the state of Uttarakhand regarding FRA is as following-

Sr.no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire **2.115 Hect.** of forest area proposed for deversion. A copy of record of all consultaions and meeting of the forest Right Committee(s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes. copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No **objection certificate** concerned villages regarding construction Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road, Uttarkashi section in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not involve recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Dr. Ashish Chauhan)
जिलाधिकारी
District Magistrate,
उत्तरकाशी
Uttarkashi.

कार्यालय उप जिलाधिकारी...भटवाड़ी
उप खण्ड स्तरीय समिति........भटवाड़ी

आज दिनांक...11.2.2015 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड...भटवाड़ी में डोंगरा-ढौलुड़ा-ओलर.... मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव .... हे0 के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी...भटवाड़ी की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	के. के. सिंह	उप जिलाधिकारी.... भटवाड़ी	[signature]
2-	आर. बी. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी... धरासू	[signature]
3-	अरविन्द कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी...भटवाड़ी	[signature]
4-	श्रीमती विनीता भट्ट	बी0डी0सी0क्षे. पंचायत सदस्य...भटवाड़ी	[signature]

प्रपत्र--23.2

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत बौंगा-भैलुड़ा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से हाडिंयाल धार तक मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भटवाड़ी

उपखण्ड भटवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत बौंगा-भैलुड़ा मोटर मार्ग के हाडिंयाल धार तक ——— (——— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ......हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.115 हे० वन भूमि) का ——— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भटवाड़ी) की दिनांक ——— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री. ———, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-- श्री के० के० सिंह उपजिलाधिकारी ——— भटवाड़ी ——— अध्यक्ष
2-- श्री डा० [illegible] सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी ——— [illegible] ——— सदस्य
3-- श्री [illegible] कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी ——— भटवाड़ी सदस्य/सचिव
4-- श्रीमती [illegible] बी०डी०सी० क्षेत्र ——— भटवाड़ी ——— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ———

भूमि ——— परियोजना हेतु 2.115 हे० वन ——— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

4. बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भटवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~चौंआ औलुडा मोटर मार्ग से~~ [illegible] परियोजना के निर्माण हेतु 2.115 हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी, उत्तरकाशी
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— भटवाड़ी
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— भटवाड़ी
जनपद उत्तरकाशी।

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मे बौगा – भैलूड़ा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है0 सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– अलेथ।
तहसील :– भटवाड़ी, जिला – उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मे बौगा – भैलूड़ा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है0 सिविल सोयम वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत अलेथ द्वारा दि0 25-4-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अलेथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 [signature]
ग्राम सचिव

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत अलेथ
वि0ख0- भटवाड़ी, उत्तरकाशी
ह0
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

<u>प्रपत्र – 23</u>

परियोजना का नाम :– मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मे बौगा – भैलूड़ा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है0 सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– धनपुर।
तहसील :– भटवाड़ी, जिला – उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मे बौगा – भैलूड़ा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है0 सिविल सोयम वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी/संस्था के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धनपुर द्वारा दि0 [illegible] को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-धनपुर
वि0ख0-भटवाड़ी, उत्तरकाशी

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र मे दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।।

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि०08.02.2015 को ग्राम पंचायत [illegible] की आम खुली बैठक = समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें बौगा भेलूड़ा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० भटवाडी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत है, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयम वन भूमि, नाप भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा आरक्षित वन भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत है, क्योंकि इससे न्यूनतम वृक्षों की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक 01 में प्रस्ताव सं० 15 के रूप में दर्ज किया गया है।

ग्राम वासियों के हस्ताक्षर निम्वत है :–

सदस्य
क्षेत्र पंचायत मानपुर
विकासखण्ड-भटवाडी
जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

प्रधान
ग्राम पंचायत- मनपुर
वि०ख०- भटवाड़ी, उत्तरकाशी

क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्र० सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
(1)	[illegible]	[illegible]	9	सुमन सिंह	[illegible]
(2)	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]
(3)	[illegible]	[illegible]	11		
(4)	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]	[illegible]
(5)	जगमोहन सिंह रावत	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]
(6)	विनोद [illegible]		14	[illegible]	[illegible]
(7)	[illegible] देवी	[illegible] देवी	15	[illegible]	[illegible]
(8)	सीता देवी	सीता देवी	16	[illegible]	[illegible]

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि0 25/01/2011 को ग्राम पंचायत अलेथ की आम खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें बौगा भेलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, अन्तोद खण्ड लो0नि0वि0, भटवाडी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत है, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयम वन भूमि, नाप भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा आरक्षित वन भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत है, क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्षों की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक ...... में प्रस्ताव स0.......... के रुप में दर्ज किया गया है।

ग्राम वासियों के हस्ताक्षर निम्वत है :-

क्रम स0	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम स0	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
1.	[illegible]	[signature]	(9)	गोविन्द सिंह	[signature]
2	देवी सिंह महर	[signature]	(10)	विजय सिंह महर	[signature]
3	[illegible] सिंह रावत	[signature]	(11)	[illegible] सिंह	[signature]
4	[illegible]	[signature]	(12)	[signature]	[signature]
5.	[illegible]	[signature]	(13)	[illegible] लाल	[signature]
6.	कल्याण सिंह	[illegible]	(14)	जितेन्द्र महर	[signature]
7	[illegible] सिंह	[signature]	(15)	[illegible]	[signature]
8	[illegible]	[signature]	(16)	[signature]	[signature]

[signature]
मीना रावत
प्रधान
ग्राम पंचायत- अलेथ
[illegible]

[signature]
सदस्य
क्षेत्र पंचायत [illegible]
विकासखण्ड-भटवाडी
[illegible]

(56)

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

क्रम सं0	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं0	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
17	[illegible]	[illegible]	37	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	38	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	39	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	41	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	42	[illegible]	[illegible]
23	RAMESH SINGH	[illegible]	43	मंजू देवी	मंजू देवी
24	[illegible]	[illegible]	44	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	45	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	46	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	47	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	48	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	49	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	51	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	52	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	53	[illegible]	[illegible]
34	सुरवीर सिंह	[illegible]	54	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	55	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	56	[illegible]	[illegible]

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत

सचिव
क्षेत्र पंचायत [illegible]
विकासखण्ड-[illegible]